परिपत्र सं0– 13 /सामा–1(1)/मानसिक रोगी

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांकः 1-5-19

विषयः– कारागारों में निरूद्ध मानसिक रोगी सिद्धदोष बंदियों के उपराचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी, स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में जेल मैनुअल में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत बंदी के चिकित्सीय व अन्य प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बंदी, जो मानसिक रोगी हैं, उनके समुचित परीक्षण/उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–510 एवं प्रिजनर्स एक्ट–1900 की धारा–30(1) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरण के समय मानसिक रोगी बंदी से सम्बन्धित निम्न चिकित्सीय प्रपत्रों व अन्य अभिलेखों को बंदी के साथ मानसिक चिकित्सालय भेजें जाने की व्यवस्था प्राविधानित हैः–

(1) वारण्ट (शासन स्तर से प्राप्त)
(2) एस0एच0एम0 प्रारूप IX
(3) एस0एच0एम0 प्रारूप X
(4) एस0एच0एम0 प्रारूप XII
(5) एस0एच0एम0 प्रारूप XIV
(6) कारागार प्रारूप सं0–2
(7) प्रस्तर–1058 के अन्तर्गत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/सिविल सर्जन की प्राप्त अनुमति/प्रमाण पत्र मूलरूप में।

प्रायः यह संज्ञान में आता है कि जेल मैनुअल में उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था प्राविधानित होने के बावजूद भी प्रदेश की कुछ कारागारों के अधीक्षकों/वरिष्ठ अधीक्षकों द्वारा उनकी कारागार में निरूद्ध मानसिक रोगी सिद्धदोष बंदी को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित करने हेतु बंदी से सम्बन्धित उक्त चिकित्सीय व अन्य प्रपत्रों में मुख्य रूप से जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति/प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित नहीं किया जाता है तथा बंदी के चिकित्सीय व अन्य प्रपत्रों को मूलरूप में न भेजकर उनकी छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए अपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाता है, जिस पर शासन द्वारा परीक्षण कर उक्त अपूर्ण प्रस्ताव को वापस करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–510 एवं प्रिजनर्स एक्ट–1900 की धारा–30(1) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत ही पूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध मानसिक रोगी सिद्धदोष बन्दियों के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 जेल मैनुअल के जेल मैनुअल के प्रस्तर–510 एवं प्रिजनर्स एक्ट–1900 की धारा–30(1) में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

29/4/19

(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।